न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/40/18	20–03–2018	16–07–2019

01. दिव्या महिला स्वयं सहायता समूह, उचित मूल्य दुकानदार 1/3 भाग ग्राम पंचायत लंगडबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर। जरिये अध्यक्ष श्रीमती ताज कंवर

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 26–02–2018 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या–1703/2013 प्रकरण संख्या 37/2017

उपस्थितः–

01. श्री श्योरामसिंह नरूका –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार –रेस्पौडेण्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 26–02–2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं0–1703/2013 निरस्त करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करने से पूर्व समुचित साक्ष्य पेश करने का अवसर अपीलान्ट को नहीं दिया गया। प्रवर्तन निरीक्षण की जांच दिनांक 8.12.17 के वक्त अपीलान्ट अपनी उचित मूल्य दुकान पर उपस्थित थी, किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही थी और नियमानुसार सूचना बोर्ड लगा हुआ था। निरीक्षण के वक्त पोस मशीन प्रवर्तन निरीक्षक को उपलब्ध करा दी गई थी के बावजूद प्रवर्तन निरीक्षण द्वारा झूठा प्रकरण बनाने की नियत से सरपंच के दबाव में आकर बेजा कार्यवाही अमल में लाते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। उपभोक्ता राशन सामग्री लेने के लिए आता था तो उसे नियमानुसार राशन सामग्री वितरित की जाती रही है। जिसमें किसी प्रकार की लापरवाही या उपेक्ष नहीं बरती गई है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 8.12.17 के आधार पर कारण बताओं नोटिस दिनांक 11.1.18 को दिया गया जिसका जवाब दिनांक 21.2.18 को जिला रसद अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया गया था। जिला रसद अधिकारी द्वारा आरोपों से बाहर जाकर निर्णय पारित किया गया है कि "प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट पुछताछ बयान सरपंच ग्राम पंचायत लंगडबास ने दिनांक 8.12.17 को कलम बन्द बयान में स्पष्ट किया है कि समिति का पंजीयन फर्जी है दुकान स्वयं की सुविधा के लिय अपने मकान में खोल रखी है जिससे भटकोल,खोजावास,फैजपुर आदि गॉवों के उपभोक्ता को राशन सामग्री लेने हेतु कई किलोमीटर चलना पडता है। उचित मूल्य दुकानदार (समूह अध्यक्षा) द्वारा कभी भी ग्राम सभा में नहीं आता है।" प्रवर्तन निरीक्षक को कलम बन्द बयान लेने का कानूनन कोई अधिकार हासिल नहीं है, कलम बन्द बयान तो मजिस्ट्रेट द्वारा ही लिये जा सकते है। समिति का पंजीयन फर्जी होना निर्णय में दर्ज किया गया है। जबकि दिव्या महिला स्वयं सहायता समूह का रजिस्ट्रेशन सोसायटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रार कार्यालय सहकारी समितिया अलवर द्वारा किया गया है जो रजिस्ट्रेशन वर्ष 2013 का है। जिला रसद अधिकारी के यहॉ जो

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

कार्यवाही अपीलान्ट के विरूद्व की है वह समस्त कार्यवाही सरपंच ग्राम पंचायत लंगडबास द्वारा चुनावी रंजिश से की गई है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को रोजगार हेतु प्रोत्साहन देने वास्तु महिला सहायता समूह के गठन कराये है एवं महिला स्वयं सहायता समूह को राशन डीलर नियुक्त किया गया है ताकि स्वरोजगार से उनका जीवन उन्नत बन सके। ग्राम पंचायत लंगडबास का सरपंच प्रार्थीनी के दिव्य महिला स्वयं सहायता समूह को समाप्त कराने की मंशा रखते है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्व कोई भी निर्णय पारित किये जाने से पूर्व उसे समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाना आवश्यक है, किन्तु अपीलीय निर्णय में जिला रसद अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलांट को जो नोटिस दिया उसका जवाब पेश कर दिया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का फैसला विधि विरूद्व तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है और न ही किसी प्रकार का गबन किया गया है। अपीलांट द्वारा कोई अनियमितता की गई है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अपील अन्दर मियाद पेश की गई है, अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें, एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आदेश 1976 की धारा 8 के तहत बिना सुनवाई के प्राधिकृत अधिकार पत्र निरस्त किया जा सकता है। समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को है। अपीलान्ट का यह कृत्य राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पस्ट उल्लधंन किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कर सही रिपोर्ट पेश की है। प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट पूछताछ बयान सरपंच ग्राम पंचायत लंगडबास ने दिनांक 8.12.17 को कलम बन्द ब्यान एवं उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। दौराने जांच स्थिति सही नही मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है और ना ही अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित हुआ। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया कि प्रवर्तन निरीक्षक को कलम बन्द बयान लेने का कानूनन कोई अधिकार हासिल नहीं है, कलम बन्द बयान तो मजिस्ट्रेट द्वारा ही लिये जा सकते है। समिति का पंजीयन फर्जी होना निर्णय दर्ज किया गया है। जबकि दिव्या महिला स्वयं सहायता समूह का रजिस्ट्रेशन सोसायटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रार कार्यालय सहकारी समितिया अलवर द्वारा किया गया है जो रजिस्ट्रेशन वर्ष 2013 का है। जिला रसद अधिकारी के यहॉ जो कार्यवाही अपीलान्ट के विरूद्व की है वह समस्त कार्यवाही सरपंच ग्राम पंचायत लंगडबास द्वारा चुनावी रंजिश से की गई है। अपीलीय आदेश में जो तथ्य दर्ज किये वो गंभीर प्रवृति के नही थे, केवल प्रकरण बनाने के लिए अपीलान्ट का लाईसेंस निरस्त करने के लिए ही लगाये गये थे, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नही है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का फैसला विधि विरूद्व तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये तर्क के सम्बन्ध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा जवाब नोटिस दिनांक 21.2.18 को तहत अदालत में पेश किया गया, तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 26.2.18 को निरस्त कर दिया गया। जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट को जवाब पेश करने का भी तहत अदालत ने कोई अवसर नहीं दिया। अपीलान्ट द्वारा अपील में उठाये गये तर्क सही प्रतीत होते है। बिना जवाब पेंश किए एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित निर्णय को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपील अपीलान्ट स्वीकार होकर रिमाण्ड किए जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी अलवर का आदेश दिनांक 26–02–2018 निरस्त किया जाकर, अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर प्रकरण जिला रसद अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को आरोपों के संबंध में विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई अवसर/साक्ष्य, सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का यथासम्भंव एक माह में गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करें। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16–07–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर